

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा दावा

प्रलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)।

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का महततव ।

चर्चा में क्यों?

<u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)</u> के तहत बैंक खाताधारकों को प्रदान किये गए दुर्घटना <mark>बी</mark>मा क<mark>वर हेतु पिछले दो वित्तीय वर्षों में दायर किये गए 647 दावों में से केवल 329 का निपटान किया गया है।</mark>

वित्त वर्ष 2021-22 में 341 दावे दायर किय गए, जिनमें से 182 का निपटान किया गया और 48 को खारिज कर दिया गया एवं वित्त वर्ष 2022-23 में 306 दावे दायर किय गए, जिनमें से 147 का निपटान किया गया व 10 को खारिज कर दिया गया, इसके अलावा शेष 149 दावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:

• परचिय:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मिशन है। यह वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिग/बचत
 और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनिश्चित करता है।
- ॰ इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या**बज़िनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र)** आउटलेट में उन लोगों का एक**मूल बचत बैंक जमा (Basic** Savings Bank Deposit- BSBD) खाता <mark>खोला जा</mark> सकता है, जनिक पास कोई अन्य खाता नहीं है।

• उद्देश्य:

- ॰ वभिनि्न वित्तीय सेवाओं जैसे- <mark>बुनयिादी बच</mark>त बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारति ऋण तक पहुँच, प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन की बहष्कृत वर्गों यानी <mark>कमज़ोर वर्</mark>गों तथा निम्न-आय वाले समूहों तक पहुँच सुनश्चित करना।
- ॰ यह सभी सरकारी लाभाँ (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) को लाभार्थियों के खातों के माध्यम से प्रदान करने और केंद्र सरकार की प्रतयक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना करता है।
- ॰ इस योज<mark>ना के तह</mark>त वित्तीय समावेशन के लिये टेलीकॉम ऑपरेटरों और कैश आउट पॉइंट्स के रूप में स्थापित केंद्रों के माध्यम से मोबाइल लेन-देन का भी उपयोग करने की योजना है।

PMJDY तहत लाभ:

- PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशा बिनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा जमा राश पिर ब्याज भी अर्जित किया जाता है।
 - PMJDY खाताधारक को <u>रूपे डेबटि कारड</u> प्रदान कथा जाता है।
- पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुवधा उपलब्ध है।

• PMJDY का दायरा:

• PMJDY खाताधारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइकरो यनटिस डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के पात्र हैं।

■ PMJDY के तहत बीमा सुवधा:

- ॰ यह अपने खाताधारकों को बीमा कवर प्रदान करता है।
 - जीवन बीमा कवर: PMJDY खाताधारक 2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर के लिये पात्र हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत प्रदान किया जाता है।
 - दुर्घटना बीमा कवर: PMJDY खाताधारक 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के लिये भी पात्र हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत प्रदान किया जाता है।
- PMJJBY और PMSBY दोनों बीमा कवर 330 रुपए प्रतिवर्ष और 12 रुपए प्रतिवर्ष क्रमशः मामूली प्रीमियम पर प्रदान किये जाते हैं।
 - इन बीमा कवरों के लिये प्रीमियम वार्षिक आधार पर **PMJDY खाताधारक** के खाते से सुवचालित रूप से डेबिट हो जाता है।
 - मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये दुर्घटना बीमा कवर सभी PMJDY खाता धारकों को दिया जाता है, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएँ हैं। खाताधारकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
- ॰ शर्त:
- दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) किया हो। हालाँकि यह स्थिति फाइलिंग दावों को कठिन बनाती है।
- PMJDY के समक्ष चुनौतयाँ:
 - ॰ जागरूकता की कमी: सरकार द्वारा वभिनि्न जागरूकता अभियानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग PMJDY के लाभों से अवगत नहीं हैं। यह भागीदारी की कमी को इंगति करता है और कार्यक्रम के प्रभाव को सीमित करता है।
 - सीमित बुनियादी ढाँचा: कई दूरस्थ क्षेत्रों में ATM और बैंक शाखाओं सहित पर्याप्त बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे लोगों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाना मुश्किल हो जाता है।
 - सीमित संसाधन: बहुत से लोग जो PMJDY के लिय पात्र हैं, उनके पास बैंक खाते खोलने हेतु ID प्रमाण, पता प्रमाण एवं आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम की पहुँच को सीमित करता है और इसकी प्रभावशीलता को कम करता है।
 - ॰ **नकद लेन-देन पर निर्भरता:** देश के कई हिस्सों में लोग अभी भी अपनी <mark>दैनकि ज</mark>़रूरत<mark>ों के लिये नकद ले</mark>न-देन पर निर्भर हैं। यह डिजिटल भुगतान के उपयोग को सीमित करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में PMJDY <mark>की</mark> प्रभावशीलता को कम करता है।
- भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिये अन्य पहलें:
 - डिजिटिल पहचान (आधार)
 - विततीय शकिषा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
 - ॰ वृतितीय साक्षरता केंद्रर (CFL) परियोजना
 - ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
 - डिजिटिल भुगतान का प्रचार

आगे की राह

- सरकार डिजटिल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के अतिरिक्ति कार्यक्रम के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग कर सकती है, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में जहाँ सूचनाओं तक लोगों की पर्याप्त पहुँच नहीं है।
- यह वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक बैंक शाखाओं और ATM स्थापित करने का भी कार्य कर सकती है।
- साथ ही इस कार्यक्रम के तहत बैंक खाते खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- ऐसे मामलों में जिसमें लाभार्थी यह साबति कर सकता है कि वह बीमारी अथवा यात्रा जैसे कारणों की वजह से उस समय अवधि के दौरान कार्ड का उपयोग करने में असमर्थ था, सरकार इस शर्त पर छूट दे सकती है कि उक्त व्यक्ति ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन किया हो।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. बैंक खाते से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिये इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिये उचित तर्क दीजिये। (2016)

सरोत: द हदि

